न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/7/2021	**मथुरा देवी बनाम् राज0 सरकार** **मु0नं0 01/2017** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती तरमीम न्यायालय में इस अमर का पेश किया हैं कि ख0नं0 111/93 रकबा 11 बीघा भूमि ग्राम थानपुरा पटवार हल्का पट्टी किशोरपुरा तहसील लालसोट में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थीनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में जो तरमीम हो रही हैं। वह पश्चिम दिशा की तरफ हो रही हैं जबकि प्रार्थीनी का कब्जा पूर्व दिशा की तरफ है। अर्थात वर्तमान राजस्व नक्सा ट्रेस में जो तरमीम पश्चिम दिशा की तरफ हो रही हैं। वह कब्जे के विपरीत हैं। क्योंकि प्रार्थीनी का कब्जा ख0नं0 110/93 के पूर्व दिशा की तरफ हैं। अधिवक्ता प्रार्थीनी द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया कि ख0नं0 111/93 की तरमीम मुताबिक कब्जे अनुसार ख0नं0 110/93 की पूर्व दिशा की तरफ किया जाना जरूरी हैं। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 04-05-2016 को जब तहसीलदार लालसोट से ख0नं0 111/93 की तरमीम कब्जे अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया तो दिनांक 04-08-16 को तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से कब्जे का रिकार्ड प्राप्त किया तो यह तथ्य भी सामने आया कि ख0नं0 111/93 की तरमीम मौके अनुसार नहीं हैं। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परन्तु उसके बावजूद भी राजस्व नक्सा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को शुद्ध नहीं किया गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी आया हैं। वकील प्रार्थीया द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि ख0नं0 111/93 की वर्तमान अशुद्ध तरमीम जो नक्सा ट्रेस में हो रही है। इस अशुद्ध तरमीम पश्चिम दिशा की ओर उसे शुद्ध किया जाकर ख0नं0 111/93 की तरमीम को नक्सा ट्रेस में ख0नं0 110/93 के पूर्व दिशा की तरफ प्रार्थीया के कब्जे अनुसार कायम की जावे। बहस सुनी गई। पत्रावली का अधोपान्त गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात वर्तमान जमाबंदी, नक्सा ट्रेस, तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दिनांक 04–08–2016 का अवलोकन किया गया। मेरे विनम्र मत में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं कि ख0नं0 111/93 के नक्सा ट्रेस में वर्तमान में हो रही अशुद्ध तरमीम को दुरूस्त किया जाकर ख0नं0 111/93 की तरमीम को नक्से में ख0नं0 110/93 के पूर्व दिशा की तरफ प्रार्थीनी के कब्जे अनुसार कायम की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। 27/7/2017 उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०)	